न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा
(पीठासीन अधिकारी ममता कुमारी तिवारी, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 2022 / 182 दायरा दिनांक : 07.11.2022

उनवान

ग्राम वासियान ग्राम डग, तहसील डग, जिला झालावाड जरिये –
1– रईस मोहम्मद खान आयु 62 वर्ष आत्मज श्री रफीक मोहम्मद खान, जाति मुसलमान,
2– दिलीप कुमार सोनी, आयु 51 वर्ष आत्मज श्री किशोर कुमार सोनी, जाति स्वर्णकार, निवासीगण ग्राम डग, तहसील डग, जिला झालावाड, राज0 .... अपीलांट

बनाम

1– साबिरउद्दीन वल्द नजीरउद्दीन, जाति मुसलमान, निवासी डग, तहसील डग
2– नुरूउद्दीन वल्द नजीरउद्दीन, जाति मुसलमान, निवासी डग, तहसील डग
3– रफीकउद्दीन वल्द नजीरउद्दीन, जाति मुसलमान, निवासी डग, तहसील डग (मृतक) –
3/1– शमशाद बेगम पत्नी रफीकउद्दीन,
3/2– अजहरउद्दीन वल्द रफीकउद्दीन,
3/3– शरीन बी पुत्री रफीकउद्दीन,
जाति मुसलमान, निवासी डग, तहसील डग
4– खलीलउद्दीन वल्द नजीरउद्दीन, जाति मुसलमान, निवासी डग, तहसील डग
5– अमीरउद्दीन वल्द नजीरउद्दीन, जाति मुसलमान, निवासी डग, तहसील डग
अकवाम निवासीगण ग्राम डग, तहसील डग, जिला झालावाड
6– स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार तहसील डग, जिला झालावाड ...... रेस्पोडेंट

उपस्थित श्री राजेन्द्र सिंह हाडा, श्री गुलाब चन्द अभिभाषक अपीलांट की ओर से
श्री रविन्द्र खण्डेलवाल अभिभाषक रेस्पोडेंट नं. 1 से 4 व श्री नितेश शेटे अभिभाषक रेस्पोडेंट नं. 5 की ओर से

अपील संख्या 2022 / 203 दायरा दिनांक : 14.11.2022

उनवान

स्टेट ऑफ राजस्थान (राजस्थान सरकार) जर्ये तहसीलदार, तहसील डग .... अपीलांट

बनाम

1– साबिर उद्दीन पुत्र श्री नजरूद्दीन
2– नुरू उद्दीन पुत्र श्री नजरूद्दीन
3– रफीक उद्दीन पुत्र श्री नजरूद्दीन (मृतक) जरिये कायम मुकामान–
3/1– शमशाद बेगम पत्नी स्वर्गीय श्री रफीक उद्दीन
3/2– अजहर उद्दीन पुत्र स्वर्गीय श्री रफीक उद्दीन
3/3– शरीन बी पुत्री स्वर्गीय श्री रफीक उद्दीन
4– खलील उद्दीन पुत्र श्री नजरूद्दीन
5– अमीर उद्दीन पुत्र श्री नजरूद्दीन
अकवाम मुसलमान, निवासीगण डग, तहसील डग, जिला झालावाड .... रेस्पोडेंट

उपस्थित श्री हरिशंकर जागिड, नायब तहसीलदार डग अभिभाषक अपीलांट की ओर से
श्री रविन्द्र खण्डेलवाल अभिभाषक रेस्पोडेंट नं. 1 से 4 व श्री तोफिक अहमद व श्री नितेश शेटे अभिभाषक रेस्पोडेंट नं. 5 की ओर से

अपील संख्या 2022 / 212 दायरा दिनांक : 28.11.2022

उनवान

अब्दुल हनीफ पुत्र हफीज खां, जाति मुसलमान, निवासी डग, तहसील डग, जिला झालावाड, राज0 .... अपीलांट

बनाम

1– साबिरउद्दीन पिता नजरूद्दीन, जाति मुसलमान
2– नुरूउद्दीन पिता नजरूद्दीन, जाति मुसलमान
3– रफीकउद्दीन पिता नजरूद्दीन, जाति मुसलमान (फौत) कायम मुकामान–
3/1– शमशाद बेगम पत्नी रफीकउद्दीन, जाति मुसलमान
3/2– अजहरउद्दीन पिता रफीकउद्दीन, जाति मुसलमान
3/3– शरीन बी पिता रफीकउद्दीन, जाति मुसलमान
4– खलीलउद्दीन पिता नजरूद्दीन, जाति मुसलमान

(ममता कुमारी तिवारी)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

5– अमीरउद्दीन पिता नजरूद्दीन, जाति मुसलमान
अकवाम निवासीगण ग्राम डग, तहसील डग, जिला झालावाड

6– राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील डग, जिला झालावाड

...... रेस्पोडेंट

उपस्थित श्री चन्द्र प्रकाश खण्डेलवाल अभिभाषक अपीलांट की ओर से
श्री रविन्द्र खण्डेलवाल अभिभाषक रेस्पोडेंट नं. 1 से 4 व श्री नितेश शेटे अभिभाषक रेस्पोडेंट नं. 5 की ओर से

यह अपील अन्तर्गत धारा 223
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

निर्णय **दिनांक : 21.05.2024**

ये तीनों अपीले समान पक्षकार एवं समान प्रकृति की होने के कारण इनका निस्तारण एक साथ किया जा रहा है।

ये तीनों अपीले अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गंगधार के प्रकरण संख्या 00091/दावा/2020 निर्णय दिनांक 27.07.2022 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है।

अपीलों के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में वादीगण रेस्पोडेंटगण ने एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 89 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 पेश कर एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 पेश किया और यह कथन किया कि ग्राम डग, तहसील डग के वर्तमान खसरा नम्बर 1130 रकबा 1 बीघा 3 बिस्वा के सम्बन्ध में यह वादपत्र प्रस्तुत किया जा रहा है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गंगधार ने अपने निर्णय दिनांक 27.07.2022 से वाद वादीगण स्वीकार कर वादग्रस्त आराजी वाके ग्राम डग के खसरा नम्बर 1130 रकबा 10.09 बीघा, किस्म चारागाह में से 0.09 बिस्वा भूमि पर वादीगण व प्रतिवादी नं. 1 का खाता में नाम दुरूस्त (सही) किये जाने के आदेश दिये। उक्त रकबा 0.09 बिस्वा भूमि, खसरा नम्बर 1166 रकबा 1.10 बीघा में सम्मिलित किया जावे। तहसीलदार डग को अमल दरामद किये जाने हेतु लिखा, जिससे अप्रसन्न होकर अपीलांट ने यह अपीले प्रस्तुत की।

अपील संख्या 2022/182 के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अपीलांट ग्राम डग, तहसील डग, जिला झालावाड के निवासी हैं, काश्तकार हैं, मवेशी रखते हैं, जिनको वे अन्य ग्राम वासियान डग के साथ अपीलग्रस्त भूमि में अपने मवेशियों को चराते हैं और अपीलग्रस्त भूमि का चारागाह के रूप में उपयोग करते हैं। अपीलग्रस्त आराजी खसरा नं. 1130 रकबा 10.09 बीघा में से 0.09 बीघा भूमि ग्राम डग, तहसील डग में स्थित है। उपरोक्त भूमि का गत खसरा नं. 1096 रकबा 1.03 बीघा, खसरा नं. 1097 रकबा 0.07 बीघा, खसरा नं. 1099 रकबा 7.09 बीघा, खसरा नं. 1100 रकबा 0.04 बीघा, खसरा नं. 1115 रकबा 0.12 बीघा, खसरा नं. 1117 रकबा 0.14 बीघा बनाये गये हैं इसमें से 0.09 बीघा को गलत रूप से सैटलमेंट विभाग द्वारा रेस्पोडेंट कम 1 से 4 व प्रफोर्मा रेस्पों0 कम 5 की खातेदारी से निकाल कर चारागाह में दर्ज कर दी गई है, जो सर्वथा गलत था, अधिकार विहीन था, तथा काश्तकारी कानून के सर्वथा परे हैं। अतः उनके द्वारा उसे ठीक कराने तथा अपनी खातेदारी में इस आराजी को दर्ज कराने हेतु अधीनस्थ न्यायालय में वाद पेश किया गया। उपरोक्त भूमि के संबंध में रेस्पोडेंट कम 1 से 4 ने दिनांक 12.10.2020 को न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गंगधार में रा0टे0एक्ट की धारा 88 व 89 सपठित धारा 136 ले0 रे0 एक्ट वाद प्रस्तुत किया कि उपरोक्त भूमि अपीलांट के पिता नजरूद्दीन की खातेदारी की भूमि थी, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रफोर्मा रेस्पो0 कम 5 व 6 को नोटिस जारी किया गया, लेकिन वे प्रकरण में जानबूझ कर अनुपस्थित रहे। अतः उपरोक्त वाद में एक तरफा कार्यवाही कर दी गई और बगैर बयान इत्यादि लेखबद्ध किये अपीलग्रस्त भूमि को चारागाह से निकाल कर उनके खाते दर्ज कर दिया गया तथा रिकार्ड दुरूस्ती का आदेश तहसीलदार, डग को दे दिया। अपीलांट ग्राम डग के निवासी है और खसरा नं. 1130 रकबा 10.09 बीघा चारागाह की भूमि को अन्य ग्रामवासियान डग की तरह ही अपने मवेशियों को चराने आदि के उपयोग में लेते हैं।

अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिकी राजस्थान टीनेन्सी एक्ट व लैण्ड रेवेन्यु कानूनी से सर्वथा परे है। अधीनस्थ न्यायालय ने कम 1 से 4 व प्रफोर्मा रेस्पोडेंट कम 5 व 6 में से किसी का भी बयान लेखबद्ध नहीं किया तथा वाद को सरसरी रूप से डिकी कर दिया। सैंटलमेंट की समस्त कार्यवाही अवैध, अधिकारहीन थी, अतः वादीगण का वाद मियाद बाहर था, वादीगण को तत्काल ही कार्यवाही करना चाहिए था, जो उनके द्वारा

(ममता कुमारी तिवारी)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

नहीं की गई। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष जब यह तथ्य आ गया था कि कुल भूमि खसरा नं. 1130 रकबा 10.09 बीघा चारागाह है, तब अधीनस्थ न्यायालय का यह कर्त्तव्य/दायित्व था कि वह इस मामले में ग्रामवासियान को पक्षकार बनाता, उनको सुनवायी का अवसर देता, जनरल नोटिस देता, उसका प्रकाशन अखबार में करवाता, तब ही वाद में आगे की कार्यवाही करता, जो अधीनस्थ न्यायालय ने जानबूझ कर नहीं किया। जबकि उसे पता था कि रेस्पोडेंट कम 5 अन्य रेस्पोडेंट वादीगण का भाई है, तदनुसार वाद पूरी तरह कोल्युजीव है। खसरा नं. 1130 रकबा 10.09 बीघा था तो मात्र 0.09 बीघा को ही चारागाह से निकालकर खातेदारी में दर्ज क्यों कर किया गया, यह निर्णय से स्पष्ट नहीं है। अपीलांट प्रकरण में व्यथित पक्षकार हैं, उनका व्यक्तिगत हित निहित है, इसलिए अपीलांट को अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री दिनांक 27.07.2022 को चुनौती देने, उसे अपास्त कराने का पूर्ण रूप से विधिक अधिकार है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 27.07.2022 अपास्त फरमाया जावे।

अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर यह कथन किया गया है कि अपीलाधीन निर्णय की जानकारी दिनांक 13.10.2022 को हुई। जानकारी की तिथि से अपील अवधि मध्य है। अतः विलम्ब का शमन किया जाये।

अपील के साथ एक प्रार्थना पत्र आदेश 41 नियम 3 सी पी सी/धारा 96 (बी) सी.पी.सी. पेश कर कथन किया कि अपीलांट ग्राम डग, तहसील डग, जिला झालावाड के निवासी हैं, काश्तकार हैं, मवेशी रखते हैं, जिनको वे अन्य ग्राम वासियान डग के साथ अपीलग्रस्त भूमि में अपने मवेशियों को चराते हैं और अपीलग्रस्त भूमि का चारागाह के रूप में उपयोग करते हैं। अपीलग्रस्त आराजी खसरा नं. 1130 रकबा 10.09 बीघा में से 0.09 बीघा भूमि ग्राम डग, तहसील डग में स्थित है। उपरोक्त भूमि का गत खसरा नं. 1096 रकबा 1.03 बीघा, खसरा नं. 1097 रकबा 0.07 बीघा, खसरा नं. 1099 रकबा 7.09 बीघा, खसरा नं. 1100 रकबा 0.04 बीघा, खसरा नं. 1115 रकबा 0.12 बीघा, खसरा नं. 1117 रकबा 0.14 बीघा बनाये गये हैं इसमें से 0.09 बीघा को गलत रूप से सैटलमेंट विभाग द्वारा रेस्पोडेंट कम 1 से 4 व प्रफोर्मा रेस्पो0 कम 5 की खातेदारी से निकाल कर चारागाह में दर्ज कर दी गई है, जो सर्वथा गलत था, अधिकार विहीन था, तथा काश्तकारी कानून के सर्वथा परे हैं। अतः उनके द्वारा उसे ठीक कराने तथा अपनी खातेदारी में इस आराजी को दर्ज कराने हेतु अधीनस्थ न्यायालय में वाद पेश किया गया। खसरा नं. 1130 रकबा 10.09 बीघा चारागाह की भूमि को अन्य ग्रामवासियान डग की तरह ही अपने मवेशियों को चराने आदि के उपयोग में लेते हैं, अधीनस्थ न्यायालय का यह कर्त्तव्य/दायित्व था कि वह इस मामले में ग्रामवासियान को पक्षकार बनाता, उनको सुनवायी का अवसर देता, जनरल नोटिस देता, उसका प्रकाशन अखबार में करवाता, तब ही वाद में आगे की कार्यवाही करता, जो अधीनस्थ न्यायालय ने जानबूझ कर नहीं किया। जबकि उसे पता था कि रेस्पोडेंट कम 5 अन्य रेस्पोडेंट वादीगण का भाई है, तदनुसार वाद पूरी तरह कोल्युजीव है। अपीलांट प्रकरण में व्यथित पक्षकार है, उनका व्यक्तिगत हित निहित है, इसलिए अपीलांट को अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री दिनांक 27.07.2022 को चुनौती देने, उसे अपास्त कराने का पूर्ण रूप से विधिक अधिकार है। अपीलांट को अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर नहीं दिया गया तो उनके हित व अधिकार प्रभावित होगे। अतः प्रार्थीगण को अपील पेश करने व सुनवाई का अवसर दिये जाने की आज्ञा प्रदान की जावे।

अपील संख्या 2022/203 के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय की डिक्री एवं फैसला खिलाफ कानून, खिलाफ जाप्ता, खिलाफ उसूल-इंसाफ एवं पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों के विपरीत होने से निरस्त होने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने इस महत्वपूर्ण तथ्य पर गौर नहीं किया कि वाद में अपीलांट स्टेट ऑफ राजस्थान (राजस्थान सरकार) जर्ये तहसीलदार पक्षकार प्रतिवादी नं. 2 बनाया गया था, किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट/प्रतिवादी नं. 2 को तलब नहीं किया, अपीलांट को सम्मन/नोटिस जारी नहीं किये गये जो कि विधि का आज्ञापक प्रावधानों का उल्लंघन है। अपीलांट को अपना पक्ष रखने का अवसर नहीं दिया गया, जो न्याय के सिद्धांतों के विरूद्ध है। अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय करने में विधि के आज्ञापक प्रावधानों की पालना नहीं की। वादीगण/रेस्पोडेंट्स की साक्ष्य लेखबद्ध किये बिना ही दावा स्वीकार कर लिया, जो निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर गौर नहीं किया कि जो भूमि वादी/रेस्पोडेंट अपने खाते लगवाना चाहता है वह चारागाह की है जिसकी क्षतिपूर्ति किस भूमि से की जावेगी इस संबंध में कोई आदेश नहीं दिया गया। प्रकरण जनहित का है जिसमें जनसामान्य व आम नागरिकों, किसानों के हित प्रभावित होते हैं। विधि का सुस्थापित सिद्धांत है कि किसी भी प्रकरण का निर्णय पक्षकारों को सुनवाई/पक्ष रखने का अवसर दिया जाकर अभिवचनों व साक्ष्य के उपरान्त गुणावगुण तथा विधिक बिन्दुओं

(ममता कुमारी तिवारी)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, कोटा

पर विचार कर ही किया जाना चाहिए, इस प्रकरण में सरकार को अपना पक्ष रखने का अवसर नहीं दिया गया। अपीलांट को सुनवाई का अवसर नहीं मिला जिससे वे अपनी जवाबदेही नहीं कर सके और अपना पक्ष नहीं रख सके जिसके कारण विधि सम्मत सही फैसला नहीं हो सका। अपीलांट को अपना पक्ष रखने का अवसर दिया जाना न्याय संगत एवं न्यायोचित है तथा न्यायहित में आवश्यक है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 22.07.2022 अपास्त की जावे।

अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर यह कथन किया गया है कि अपीलाधीन निर्णय की जानकारी दिनांक 28.09.2022 को हुई। जानकारी की तिथि से अपील अवधि मध्य है। अतः विलम्ब का शमन किया जाये।

अपील संख्या 2022/212 के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि निर्णय एवं डिक्री अधीनस्थ न्यायालय विधि एवं न्याय के सर्वथा विपरीत है, जो निरस्त होने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने रेस्पोडेंट्स के द्वारा प्रस्तुत वाद तलवी की स्टेज पर ही तहसील कार्यालय से मौका रिपोर्ट मंगवाकर विवादित आराजी खसरा नं. 1130 रकबा 10.09 बीघा, किस्म चारागाह में से 0.09 बिस्वा भूमि के मामले में वादी का वाद डिक्री कर उक्त रकबा खसरा नं. 1166 रकबा 1.10 बीघा में सम्मिलित करने का निर्णय एवं डिक्री पारित करने में कानूनी त्रुटि की है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री कानूनी प्रावधानों के विपरीत है। विवादित आराजी खसरा नं. 1130 की किस्म चारागाह राजस्व रेकार्ड में दर्ज है, इस प्रकार चारागाह आराजी कानूनी प्रावधानों के तहत किसी भी व्यक्ति के खाते दर्ज नहीं की जा सकती। अधीनस्थ न्यायालय ने बिना किसी आधार के चारागाह आराजी रेस्पोडेंट वादी के खाते में सम्मिलित करने का आदेश पारित करने में कानूनी त्रुटि की है। अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पोडेंट द्वारा प्रस्तुत वाद तलवी की स्टेज पर जैरकार था। तहसीलदार द्वारा दिनांक 15.12.2021 को प्रस्तुत मौका कब्जा रिकोर्ड के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय ने साक्ष्य के बिना ही राजस्व रेकार्ड के विपरीत चारागाह की आराजी रेस्पोडेंट वादी के खसरा नं. 1166 में सम्मिलित करने का आदेश पारित कर दिया, जो अवैधानिक होने से निरस्त होने योग्य है। विवादित आराजी खसरा नं. 1130 का रकबा 10.09 बीघा किस्म चारागाह है परन्तु अधीनस्थ न्यायालय का आदेश व डिक्री स्पष्ट नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय ने किस तरफ की 0.09 बीघा चारागाह आराजी रेस्पोडेंट/वादी के खाते में सम्मिलित करने का आदेश पारित किया यह भी स्पष्ट नहीं है। ग्राम डग के नक्शे के मुताबिक खसरा नं. 1125, 1129 एवं 1059 व अन्य अपीलांट के सहखातेदारी आराजी जिसमें मैने रोड सुवासरा से श्यामगढ़ जाने वाले रास्ते से होकर अपीलांट अपने खाते की आराजी में आता है परन्तु अधीनस्थ न्यायालय के आदेश की आड में उक्त खसरा नं. 1030 की चारागाह की आराजी में आकर आने में अनावश्यक विवाद पैदा करेगा और अपीलांट के कब्जे की आराजी में दखलअंदाजी करेगा इसलिए अपीलांट अधीनस्थ न्यायालय के आदेश से प्रभावित एवं हितबद्ध पक्षकार होने से यह अपील प्रस्तुत करने का अधिकारी है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 22.07.2022 अपास्त की जावे।

अपीलांट ने अपील के साथ एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 एवं 151 सी. पी. सी. पेश कर कथन किया कि ग्राम डग के नक्शे के मुताबिक खसरा नं. 1125, 1129 एवं 1059 व अन्य अपीलांट के सहखातेदारी की आराजी है जिसमें मैने रोड सुवासरा से श्यामगढ़ जाने वाले रास्ते से होकर अपीलांट अपने खाते की आराजी में आता है परन्तु अधीनस्थ न्यायालय के आदेश की आड में उक्त खसरा नं. 1030 की चारागाह की आराजी में आकर आने में अनावश्यक विवाद पैदा करेगा और अपीलांट के कब्जे की आराजी में दखलअंदाजी करेगा इसलिए अपीलांट अधीनस्थ न्यायालय के आदेश से प्रभावित एवं हितबद्ध पक्षकार होने से यह अपील प्रस्तुत करने का अधिकारी है। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि अपीलांट को अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय एवं डिक्री दिनांक 27.07.2022 के विरूद्ध अपील प्रस्तुत करने की इजाजत फरमाई जावे।

अपीलांट ने अपील के साथ एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 सी. पी. सी. पेश कर कथन किया कि प्रस्तुत दस्तावेज न्यायहित में अपील के साथ पेश किये जाने आवश्यक है– नकल आर्डरशीट दिनांक 12.10.2020 से 27.07.2022, खसरा नक्शा ग्राम डग दिनांक 20.10.2021, प्रति नोटिस धारा 91 दिनांक 05.01.1981 व प्रति नोटिस धारा 91 दिनांक 29.11.2015 अतः प्रार्थना है कि उक्त दस्तावेज रेकार्ड पर लिये जावे।

(ममता कुमारी तिवारी)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, [illegible]

अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर यह कथन किया गया है कि अपीलाधीन निर्णय की जानकारी दिनांक 31.10.2022 को हुई। जानकारी की तिथि से अपील अवधि मध्य है। अतः विलम्ब का शमन किया जाये।

तीनों अपीले प्राप्त होने पर सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई। नोटिस जारी किये गये। बहस उभयपक्षीय सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील संख्या 2022/202 में लिखित बहस पेश की जो शामिल पत्रावली की गई। लिखित बहस में अंकित किया कि अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गंगधार के निर्णय एवं डिक्री दिनांक 27.07.2022 के विरूद्ध राजस्थान टीनेन्सी एक्ट की धारा 223 के तहत पेश की गई है। अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा विवादित आराजी के मामले में रेस्पोडेंट (वादीगण) का वाद अन्तर्गत धारा 88, 89 आर.टी.एक्ट सपठित धारा 136 एल.आर.एक्ट डिक्री किया गया है।

अधीनस्थ न्यायालय में वादीगण द्वारा वाद प्रस्तुत किया गया उसमें अपीलांट को प्रतिवादी क्रम 2 बनाया गया था, परन्तु वाद प्रस्तुत करने के बाद अपीलांट को कोई सम्मन/नोटिस पेशी पर हाजिर होने बाबत जारी नहीं किया गया और अपीलांट की तामील के बिना ही अवैधानिक तरीके से एकतरफा निर्णय एवं डिक्री पारित कर दी गई जो कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के पूर्णतया विपरीत है। अपीलांट को दावे के सम्मन जारी नहीं होने के कारण अपीलांट अधीनस्थ न्यायालय में अपनी जवाबदेही व साक्ष्य पेश करने से वंचित रह गया।

विवादित आराजी खसरा नं. 1130 रकबा 10 बीघा 9 बिस्वा (2.6431 हेक्टर) आराजी की किस्म चारागाह है, इस आराजी में से 9 बिस्वा रेस्पोडेंट (वादीगण) के खाते की खसरा नं. 1166 की 1 बीघा 10 बिस्वा में सम्मिलित करने का आदेश एवं डिक्री पारित की है। अर्थात् वादीगण को 9 बिस्वा आराजी किस्म चारागाह का खातेदार घोषित किया गया है। इस प्रकार किस्म चारागाह की भूमि पर रेस्पोडेंट (वादीगण) को खातेदारी अधिकार दिए गए हैं वह धारा 16 राजस्थान टीनेन्सी एक्ट के प्रावधानों के पूर्णतया विपरीत है क्योंकि धारा 16 आर.टी.एक्ट के प्रावधानों के तहत चारागाह की भूमि पर किसी भी व्यक्ति को खातेदारी अधिकार देने का प्रावधान नहीं है।

चारागाह की भूमि ग्राम पंचायत के अधीन होती है एवं चारागाह की भूमि ग्राम वासियान के मवेशियों के काम आती है ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय में वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद में भूमि की किस्म चारागाह होने के कारण ग्राम पंचायत आवश्यक पक्षकार थी जिसे पक्षकार नहीं बनाया गया। इस कानूनी बिन्दु पर भी अधीनस्थ न्यायालय ने उचित गौर नहीं फरमाकर अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित करने में त्रुटि की है।

अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली से यह स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पोडेंट (वादीगण) के द्वारा अपने दावे को साबित करने के लिए कोई साक्ष्य पेश नहीं की गई यहां तक कि स्वयं के बयान भी नहीं करवाये और दस्तावेज भी प्रदर्श नहीं कराये ऐसी स्थिति में जो दस्तावेज प्रस्तुत किए गए वह साक्ष्य में नहीं पढ़े जा सकते। उपलब्ध दस्तावेजात से भी विवादित आराजी वादीगण की साबित नहीं होती है, कानूनन साक्ष्य के अभाव में वादीगण का वाद खारिज होने योग्य था। केवल मात्र पटवारी/आई.एल.आर. की रिपोर्ट के आधार पर दावा डिक्री करने का कोई प्रावधान नहीं है। कानूनन वादी को अपना दावा सिद्ध करना आवश्यक है।

अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा राज्य सरकार के परिपत्र के आधार पर निर्णय एवं डिक्री जारी की है जबकि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 16 के तहत चारागाह की भूमि पर खातेदारी अधिकार प्रदान नहीं किये जा सकते और ना ही इस बाबत वाद पेश किया जा सकता तो ऐसा दावा विधि के द्वारा बाधित होने की स्थिति में केवल मात्र राज्य सरकार के परिपत्र की आड में वादी को चारागाह की भूमि पर खातेदारी अधिकार प्रदान नहीं किए जा सकते।

प्रकरण की मेरिट को देखते हुए न्यायहित में जानकारी की दिनांक से अपील अवधि मध्य मानी जावे एवं अपील पेश करने में हुए डिले को कंडोन किया जावे। प्रार्थना पत्र धारा 5 लिमिटेशन एक्ट का स्वीकार करते हुए अपील का मेरिट पर निर्णय फरमाया जावे।

अतः लिखित बहस पेश कर निवेदन है कि अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार फरमायी जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय एवं डिक्री दिनांक 27.07.2022 निरस्त किया जावे।

(ममता कुमारी तिवारी)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील संख्या 2022/212 में लिखित बहस पेश की जो शामिल पत्रावली की गई। लिखित बहस में अंकित किया कि अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पों0 नं. 1 लगायत 4 के द्वारा एक वाद अन्तर्गत धारा 88,89 आर. टी. एक्ट एवं सपठित धारा 136 के तहत विवादित आराजी खसरा नं. 1130 की 1 बीघा 3 बिस्वा आराजी के संबंध में यह वाद पेश किया है। अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा कानूनी प्रावधानों के विपरीत रेस्पोडेंट का वाद स्वीकार करते हुए वादग्रस्त आराजी वाके ग्राम डग के खसरा नं. 1130 रकबा10 बीघा 9 बिस्वा किस्म चारागाह में से 0.09 बीघा भूमि पर वादीगण व प्रतिवादी कम 1 अमीरूद्दीन का खाते में नाम दुरूस्त किये जाने के आदेश दिये गए अर्थात् उक्त 9 बिस्वा भूमि खसरा नं. 1166 रकबा 1 बीघा 10 बिस्वा में सम्मिलित करने का निर्णय व डिकी पारित की गई। जबकि विवादित आराजी चारागाह भूमि है और इसमें होकर अपीलांट को अपने खाते की खसरा नं. 1125, 1129, 1059 व अन्य अपीलांट के सहखातेदारी की आराजी जिसमें मेन राड सुवांसरा से श्यामगढ़ जाने वाले रास्ते से होकर अपीलांट अपने खाते की आराजी में आता जाता है परन्तु निर्णय एवं डिकी जैर अपील से रेस्पोडेंट कम 1 लगायत 4 अनावश्यक रूप से दखलअन्दाजी कर रहे हैं। इसलिए अपीलांट के द्वारा प्रभावित पक्षकार की हैसियत से जानकारी की दिनांक से यह अपील अवधि मध्य प्रस्तुत की गई है। न्यायहित में प्रार्थना पत्र धारा 96 सी.पी.सी. एवं प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार करते हुए अपीलांट की अपील का मेरिट पर निर्णय फरमाया जावे।

अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा अपीलांट को ग्राम डग के खसरा नं. 1130 रकबा 10 बीघा 9 बिस्वा किस्म चारागाह में से 0.09 बीघा भूमि को रेस्पोडेंट के खसरा नं. 1166 रकबा 1 बीघा 10 बिस्वा आराजी में सम्मिलित करने अर्थात् दर्ज करने का आदेश दिया गया है जो कानूनी प्रावधानों के विपरीत है। कानूनन राजस्थान टीनेन्सी एक्ट की धारा 16 के तहत चारागाह की भूमि पर किसी व्यक्ति को कोई अधिकार प्रदान नहीं किये जा सकते और कानूनी प्रावधानों के विपरीत चारागाह की भूमि का रकबा कम नहीं किया जा सकता।

चारागाह की भूमि ग्राम पंचायत के अधीन होती है। ऐसी स्थिति में चारागाह की भूमि के मामले में किसी भी तरह के आदेश से पूर्व ग्राम पंचायत डग को पक्षकार बनाया जाना आवश्यक था। परन्तु रेस्पोडेंट वादीगण के द्वारा केवल राज्य सरकार को पक्षकार बना कर एक तरफा रूप से वाद डिकी करवा लिया गया। चारागाह की भूमि ग्राम पंचायत के अधीन होने से तहसीलदार डग बावजूद सूचना अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए एवं अपनी जवाबदेही पेश नहीं की गई। मिलान क्षेत्रफल से भी चारागाह की भूमि वादीगण की साबित नहीं होती है।

अधीनस्थ न्यायालय ने यह मानकर कि लिपिकीय त्रुटियों को शुद्ध किया जा सकेगा जिन्हें पक्षकार स्वीकार करते हैं और यह भी अंकित किया है कि बिना पक्षकारों को नोटिस दिए ऐसी त्रुटियों को स्वीकार नहीं किया जा सकता। प्रस्तुत मामले में विवादित आराजी खसरा नं. 1130 की किस्म राजस्व अभिलेख में चारागाह दर्ज है ऐसी स्थिति में जब ग्राम पंचायत को पक्षकार ही नहीं बनाया गया तो ग्राम पंचायत की स्वीकृति कैसे मानी जा सकती है।

अधीनस्थ न्यायालय ने राज्य सरकार के परिपत्र के आधार पर निर्णय एवं डिकी जैर अपील पारित की है जबकि परिपत्र कानून के ऊपर अधिभावी नहीं हो सकता। इस परिपत्र की आड में चारागाह की भूमि पर खातेदारी अधिकार प्रदान नहीं किये जा सकते हैं और ना ही किसी प्रकार की शुद्धि की जा सकती है। भू प्रबन्ध विभाग के द्वारा दौराने बंदोबस्त कोई त्रुटि की गई है। इस संबंध में नजीर आर.आर.डी. 1996 पेज 373 पेश है।

विवादित भूमि खसरा नं. 1130 की चारागाह भूमि है, ऐसी स्थिति में ग्राम पंचायत डग आवश्यक पक्षकार थी परन्तु वादी के द्वारा ग्राम पंचायत को जानबूझ कर पक्षकार प्रतिवादी नहीं बनाया है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिकी जैर अपील कानूनी प्रावधानों के पूर्णतया विपरीत होने से निरस्त होने योग्य है।

अतः लिखित बहस पेश कर निवेदन है कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमायी जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय एवं डिकी दिनांक 27.07.2022 निरस्त किया जावे। अभिभाषक अपीलांट ने अपने पक्ष के समर्थन में 1996 आर.आर.डी. पेज 373 की नजीर पेश है जो शामिल पत्रावली की गई।

(ममता कुमारी तिवारी)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

हमने अभिभाषकगण उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। अपीलांट के लायक अधिवक्ता ने सर्वप्रथम अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किये जाने का निवेदन किया । हमने अपीलांट द्वारा प्रस्तुत भारतीय मियाद अधिनियम की धारा 5 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र व शपथ पत्र का अवलोकन किया एवं उभयपक्ष के लायक अधिवक्ता की बहस पर मनन किया। ए. आई. आर.1998 (एस.सी.) पृष्ठ संख्या 3222 बालकृष्ण बनाम कृष्णामूर्ति के प्रकरण में माननीय उच्चतम न्यायालय ने अभिमत दिया है कि पर्याप्त कारण दिये हैं तो विलम्ब को क्षम्य कर देना चाहिए। माननीय उच्चतम न्यायालय ने उक्त निर्णय के पैरा संख्या 11 में यह सिद्धांत प्रतिपादित किया है कि मियाद अधिनियम एक प्रकियात्मक विधि है जिसे प्रकरण के गुणावगुण को ध्यान में रखते हुए यदि कोई विलम्ब हुआ है तो उसको उपसमन करते हुए प्रकरण का निस्तारण गुणावगुण के आधार पर किया जाना चाहिए। अतः अपीलांट द्वारा प्रस्तुत भारतीय मियाद अधिनियम की धारा 5 का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

अभिभाषक अपीलांट द्वारा प्रस्तुत धारा 96 सी. पी. सी. प्रार्थना पत्र पर अभिभाषकगण उभयपक्ष की बहस सुनी गई तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। अतः न्यायहित में धारा 96 एवं 151 सी.पी.सी. का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

हमने अपील में अपीलांट तहसीलदार डग की लिखित बहस का अवलोकन किया तथा रेस्पोडेंट के अधिवक्ता की बहस सुनी । अपीलांट तहसीलदार डग द्वारा कथन किया गया कि अपीलांट को प्रतिवादी कमांक 2 बनाया गया है, परन्तु अपीलांट को तलब नहीं कर एकतरफा निर्णय व डिकी पारित कर दी गई। अपीलांट जवाब एवं साक्ष्य पेश करने से वंचित रह गया। चारागाह भूमि धारा 16 आर.टी.एक्ट के तहत प्रतिबंधित भूमि होने से खातेदारी अधिकार नहीं दिए जा सकते। चारागाह भूमि के संबंध में ग्राम पंचायत आवश्यक पक्षकार है जिसे पक्षकार नहीं बनाया गया। अपीलांट द्वारा यह कथन भी किया कि रेस्पोडेंट (वादीगण) द्वारा कोई साक्ष्य पेश नहीं किये और ना ही दस्तावेज प्रदर्श कराये। अतः दस्तावेज साक्ष्य में नहीं पढ़े जा सकते।

अपीलांट अब्दुल हनीफ की ओर से लिखित बहस में कथन किया कि उक्त विवादित भूमि से होकर अपीलांट अपने खाते की आराजी में आता-जाता है। अतः अपीलांट प्रभावित पक्षकार है। धारा 16 आर.टी.एक्ट के तहत चारागाह भूमि पर किसी को खातेदारी अधिकार नहीं दिये जा सकते। ग्राम पंचायत को पक्षकार नहीं बनाने से भी अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय खारिज होने योग्य है। यह कथन भी किया कि अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा परिपत्र के आधार पर निर्णय किया गया है जबकि परिपत्र कानून के ऊपर अधिभावी नहीं हो सकता। अतः अपील स्वीकार फरमाई जावे। अपने पक्ष में नजीर आर.आर.डी.1996 पेज 373 पेश की।

अपीलांट ग्रामवासियान डग की ओर से अधिवक्ता ने दौराने बहस कथन किया कि उक्त वाद जनहित से संबंधित होने के कारण सामान्य जन हेतु इसकी सूचना अखबार में साया होने चाहिए थे तथा दावे में साक्ष्य भी लेखबद्ध होने चाहिए थे। जनता की भूमि से संबंधित प्रकरण होने के कारण सामान्यजन को सूचना किये बिना किया गया निर्णय त्रुटिपूर्ण है।

बहस के दौरान रेस्पोडेंट के अधिवक्ता ने कथन किया कि हमारी भूमि चारागाह में दर्ज कर दी। अतः चारागाह भूमि पुनः हमारे नाम खातेदारी में दर्ज की जावे। दौराने बहस कथन किया कि राजस्थान सरकार का परिपत्र दिनांक 20.12.1995 भू प्रबन्ध विभाग की गलतियों को धारा 136 में ही दुरूस्त करने की शक्तियां देता है। यदि कोई परिपत्र कानून को स्पष्ट करने हेतु लाया जाता है तो वह कानून के विपरीत नहीं होता है।

धारा 16 आर.टी.एक्ट की रोक यदि होती तो दिनांक 22.11.1995 का परिपत्र जारी नहीं किया जाता। अब्दुल हनीफ द्वारा रास्ता बताया गया है। यदि रास्ता चाहिए तो धारा 251 या 251ए में वाद लाना चाहिए।

आम जनता को अपील पेश करने का अधिकार नहीं है तथा अब्दुल हनीफ एवं आम जनता व्यथित पक्षकार नहीं होने से उन्हें अपील पेश करने का अधिकार नहीं है। पब्लिक दस्तावेज को प्रदर्श कराने की आवश्यकता नहीं होती है। तहसीलदार डग को अपील पेश करने का अधिकार नहीं है क्योंकि दो बार तहसीलदार की रिपोर्ट इस प्रकरण में प्राप्त हुई है। ग्राम पंचायत डग भी आवश्यक पक्षकार नहीं है क्योंकि पशु चराई से संबंधित प्रकरण नहीं है। अतः अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय यथावत रखा जावे।

(ममता कुमारी तिवारी)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

हमारे द्वारा समस्त पक्षकारान की बहस पर मनन किया तथा आदेशिका एवं दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका दिनांक 15.12.2021 से यह स्पष्ट होता है कि प्रतिवादी कम 1 की तलवी कराई गई लेकिन प्रतिवादी कम 2 की तलवी नहीं करायी गयी। इससे अपीलांट तहसीलदार का यह कथन कि उसे सुनवाई का अवसर नहीं मिला, सत्य प्रकट होता है। हमारी राय में चारागाह भूमि के प्रकरण में राज्य सरकार जर्ये तहसीलदार आवश्यक पक्षकार होता है। जिसको नोटिस तामील नहीं कराना तथा सुनवाई का अवसर नहीं दिया जाना त्रुटिपूर्ण है। साथ ही इस प्रकरण में ग्राम पंचायत डग को भी पक्षकार नहीं बनाया गया, जबकि चारागाह भूमि की देख–रेख ग्राम पंचायत द्वारा की जाती है। रेस्पोडेंट के अधिवक्ता का यह कथन है कि पशु चराई से संबंधित प्रकरण नहीं होने से ग्राम पंचायत को पक्षकार नहीं बनाया गया, कतई स्वीकार योग्य नहीं है। चारागाह भूमि पशु चराई के लिए होती है। अतः इस भूमि से संबंधित प्रकरण स्वतः ही पशु चराई से संबंधित प्रकरण है। उक्त प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा साक्ष्य वादी नहीं लिया जाना तथा दस्तावेजात प्रदर्श नहीं कराना भी त्रुटिपूर्ण है।

हमारे द्वारा मिलान क्षेत्रफल का अवलोकन किया गया। मिलान क्षेत्रफल से गत खसरा नम्बर 1096 के नये खसरा नम्बर 1166 रकबा 1.10 बीघा बने हैं, जो वादी के खाते दर्ज है। गत खसरा सं. 1096 रकबा 0.09 बीघा से नये नम्बर 1131 रकबा 4.17 बीघा भी बना है तथा गत खसरा सं. 1096 रकबा 1.03 बीघा हाल खसरा सं. 1130 रकबा 10.09 बीघा में भी शामिल है।

खसरा सं. 1130 चारागाह भूमि है तथा खसरा सं. 1131 गै. मु. सड़क है। मिलान क्षेत्रफल से यह कतई सिद्ध नहीं होता है कि वादी का कम हुआ रकबा 0.09 बीघा चारागाह भूमि में ही शामिल है। क्योंकि यह खसरा नं. 1096 गै. मु. सड़क, खसरा सं. 1131 तथा गै. मु. चारागाह खसरा सं. 1130 दोनों में शामिल है। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा त्रुटिपूर्ण निर्णय पारित करते हुए बिना साक्ष्य के खसरा सं. 1130 गै. मु. चारागाह में से खातेदारी दर्ज की गई है। न्यायिक प्रकरण पटवारी एवं तहसीलदार की रिपोर्ट के आधार पर निर्णीत नहीं होकर सभी पक्षकारान की सुनवाई एवं साक्ष्य पर तय होने चाहिए। हमारी राय में तहसीलदार की रिपोर्ट त्रुटिपूर्ण है।

वादी द्वारा उक्त प्रकरण में खसरा सं. 1130, 1131, 1166 का नक्शा भी पेश नहीं किया गया है, जिससे खसरों की स्थिति का निर्धारण नहीं हो सकता।

अतः हमारी राय में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय गम्भीर रूप से त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त होने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर तीनों अपीले अपील संख्या 2022/182, अपील संख्या 2022/203 एवं अपील संख्या 2022/212 अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती हैं। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 27.07.2022 अपास्त किया जाता है। प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस दिशा निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि समस्त पक्षकारान को सुनवाई एवं साक्ष्य का समुचित अवसर प्रदान कर प्रकरण में पुनः नये सिरे से विधि सम्मत निर्णय पारित किया जावे। **अधीनस्थ न्यायालय को यह निर्देश भी दिये जाते हैं कि भविष्य में सिवायचक/चारागाह भूमि से संबंधित प्रकरणों में राज्य सरकार को सुनवाई का पर्याप्त अवसर देकर ही निर्णय पारित किया जावे।** उभयपक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 31.07.2024 को उपस्थित होवे।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

21/5/24

(ममता कुमारी तिवारी)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा